Seventeenth Loksabha

>

Title: Election of 20 member from Lok Sabha to the Committee on official languages.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : महोदय, श्री अमित शाह की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गयी प्रगति की समीक्षा करने हेतु राजभाषा समिति के सदस्य बनने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, इसके बारे में सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गयी प्रगति की समीक्षा करने हेतु राजभाषा समिति के सदस्य बनने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, इसके बारे में सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कागज़ सदन में नहीं लाएंगे । मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, यह आपका राइट नहीं है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यदि आप सदन में कागज़ लाएंगे, तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा ।

…(व्यवधान)

12.17 hrs

SUBMISSION BY MEMBER

Re : Alleged engineering defection detrimental to the health of Parliamentary democracy

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बोलिए ।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Hon. Speaker, Sir, as per the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, a Member cannot repeat the same matter in any form. Under Rule 197 sub-section (iv), "In case the number of members giving notices on a subject that is admitted by the Speaker…", it cannot be repeated. Even according to *Kaul and Shakdher*, a matter which has already been discussed by the House during the same Session cannot be raised again through the Adjournment Motion or by any other motion. I want to clarify, Sir, that they have already raised the issue and the hon. Deputy Leader and hon. Raksha Mantri has responded to it. As far as the Government at the Centre is concerned, we do not have any role as far as the Karnataka issue is concerned. This is because of Rahul Gandhi's call that this is happening in Karnataka. There are so many

important Bills and important issues before the country which they can raise. I appeal to them not to disturb the House. This the first Session of the House. Let them allow the House to run.